24/4/24 आज पत्रावली पेश है। वकील वादी उपस्थित। मुख्य अधिवक्ता दिनांक 13/3/024 से वकील वादी को अगली पेशी तक आवश्यक रूप से प्रतिवादीगण की तलबी कराने हेतु अंतिम अवसर तय किया था की अगली पेशी तक तामिल नहीं कराये जाने की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही अदालत के स्वयंसिद्ध कार्यवाही जावेगा। के आधार प्रतिवादीगण की तलबी नहीं कराई गई है। इसके पूर्व भी वकील वादी को उलाहना कार्यवाही किये जाने की हिदायत दी गई थी इसके बावजूद अदालत हाजर के आदेश की पालना नहीं की गई है, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नामजद / नोटिस तलबाना पेश नहीं किये गये है जो वादी / वकील वादी की उदासीनता एवं कोताही को प्रकट करता है अतः वादी अंतिम अवसर अदालत के आदेश हाजर 9 R-1 CPC के तहत वादी स्वयंसिद्ध किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो, वाद निष्कासित खारिज किया लोक मंजूर हो। आदेश मेरे हस्ताक्षर लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/24 आज पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित। आज इस पत्रावली के संबंधित हुए वाद को कम अदायगी अधिनियम के संशोधित प्रावधान हैं। अतः इस पत्रावली में आगे प्रगति का कोई औचित्य नहीं रह गया है। पत्रावली कम अदायगी अधिनियम आदेश कर्नाटक सरकार 09 Rule 5 CPC के तहत संशोधन की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बस्ते के कम होने बाद तकमील संलग्न हुए वाद रहे। शुभम जोशी